

समस्त

असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्यकर अधिकारी,

जांच चौकी / सचल दल

वाणिज्यकर, 30प्र०।

Key word 1-30-Transit Pass

श्री आर०सी० गुप्ता, आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, यू०पी० स्टेट आफ्थोमैलोजिकल सोसायटी, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि दिनांक 8-11-2008 एवं 9-11-08 को जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में 43वीं वार्षिक यू०पी० स्टेट आफ्थोमैलोजिकल कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस कान्फ्रेंस / प्रदर्शनी में देश / प्रदेश के बाहर से निम्न फर्मों द्वारा आफ्थोमैलोजिकल उपकरण एवं उसके उत्पाद प्रदर्शनी हेतु व्यवसायियों द्वारा कानपुर लाये जायेंगे एवं प्रदर्शनी के बाद इन्हें पुनः वापस ले जाया जाएगा। प्रांत में इनकी कोई बिक्री नहीं की जायेगी :-

1. नेशनल इंडस्ट्रियल कं०, नयी दिल्ली
2. इण्डो मेडीटेक नयी दिल्ली
3. यूरो लैब, मदुरई
4. तोषब्रो, नयी दिल्ली
5. अंकुर मेटल वर्क्स कोलकाता
6. सन फार्मा मुम्बई
7. ज्योति सर्जिकल, लखनऊ
8. इसीलोर इंडिया, बंगलूरु
9. किरन आनन्द सेल्स, नयी दिल्ली
10. मार्क्स मार्केटिंग, नयी दिल्ली
11. जावा फार्मासूटिकल्स, हरियाणा
12. इन्ट्राओक्यूलरकेयर, बड़ोदरा
13. के०एल०बी० सेल्स ऐड सर्विसेस नयी दिल्ली
14. इण्डो वेबल सर्जिकल प०बंगाल
15. फार्माटैक आफ्थोमैलिकल्स, मुम्बई
16. एलाइड मेडिकल टेक्नोलोजिसेस
17. आफ्थोमैलिक मार्केटिंग, अहमदाबाद
18. मेडीलेक इन्स्ट्रूमेन्ट नयी दिल्ली
19. इन्डोरे फार्मा, अहमदाबाद
20. जैनसन बायोटेक टूस्टाल्स, इन्दौर
21. एलारगन इंडिया, नयी दिल्ली
22. शेअरे न्यूटाक्यूटिकल, लखनऊ
23. आई गलान फार्मा, प० बंगाल
24. अप्पासैमी एसोसियेटेड, पान्डुचेरी
25. मेहरा आईटेक, नयी दिल्ली
26. ओमनी लेन्स प्रा०लि०, लखनऊ
27. इन्टरनेशनल मेडिकल डिवाइसेज, नयी दिल्ली
28. बायोमेडिक्स नयी दिल्ली
29. सन विजन फार्मा, अहमदाबाद
30. विजन वर्ड, लखनऊ
31. बास ऐड लम्ब, नयी दिल्ली
32. कर्ल जेसिस इंडिया, नयी दिल्ली
33. अथोरेमीडीज, अहमदाबाद
34. जैबीस इक्व्यूपमेन्ट्स, नयी दिल्ली

कान्फ्रेंस / प्रदर्शनी हेतु लाये जाने वाले उपकरणों तथा प्रदर्शनी के बाद इन्हें वापस ले जाने की व्यवस्था निर्धारित करने अनुरोध किया गया है।

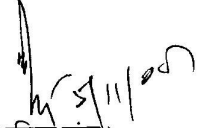
सर्वश्री आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, यू०पी० स्टेट आफ्थोमैलोजिकल सोसायटी, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रत्यावेदन पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस कान्फ्रेंस / प्रदर्शनी में जो व्यवसायी भाग लेने के उद्देश्य से अपना सामान लेकर प्रांत बाहर से आये तो इस प्रदर्शनी के लिए लाने वाले माल के संबंध में श्री आर०सी० गुप्ता, आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, यू०पी० स्टेट आफ्थोमैलोजिकल सोसायटी, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के हस्ताक्षर से जारी / प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाये तथा कान्फ्रेंस / प्रदर्शनी के समाप्त होने पर वापस प्रांत बाहर जाते समय नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया जाये। चूंकि प्रकरण में प्रवेश जांच चौकी और निर्गमन जांच चौकी एक ही रहेगी अतः पारगमन प्राधिकार पत्र जारी और खारिज करते समय लाये जा रहे एवं वापस ले जाये जा रहे माल के भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जांच चौकी के अधिकारियों की रहेगी।

इस कान्फ्रेंस / प्रदर्शनी में प्रदर्शन हेतु मशीनरी भी लायी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and others (2003)11एस० सी०सी० -749 के मामले में सिविल अपील सं० 4164-66/96 के निर्णय दि० 02-05-01 में यह कहा गया है कि यदि मशीन या उपकरण को किसी प्रदर्शनी में चलाकर या प्रयोग कर उसका उपयोग बताया जाए तो वह निश्चित ही उपयोग की श्रेणी में आएगा। प्रवेश कर की देयता उपयोग / प्रयोग / बिक्री पर है। अतः इस प्रकरण में यदि प्रवेश कर की देयता बनती है तो जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, कानपुर जिस कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में उक्त प्रदर्शनी स्थल आता है, उस कर निर्धारण अधिकारी से यह सुनिश्चित करायेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Director of Entry Tax and others Vs Mahindra and Mahindra and others (2003)11एस० सी०सी० -749 के मामले में सिविल अपील सं० 4164-66/96 के

निर्णय दि० 02-05-01 के अनुरूप यदि प्रवेश कर देय है तो प्राप्त होने वाला प्रवेशकर कान्फ्रेन्स /प्रदर्शनी अवधि में ही जमा हो जायें। इस संबंध में जांच चौकियों से कान्फ्रेन्स में भाग लेने वाले प्रदर्शन-कर्ताओं को जारी किये गये मूल पारगमन प्राधिकार पत्रों के आधार पर कान्फ्रेन्स स्थल पर आयी मशीनरी के संबंध में तीन प्रतियों में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि " जांच चौकी -----से जारी पारगमन प्राधिकार पत्र संख्या-----दि०-----के क्रमांक-----पर अंकित प्रदर्शन के लिए लाई गयी मशीन का उपयोग कान्फ्रेन्स में किया गया है एवं इस पर देय प्रवेश कर रु० ----- -- चालान संख्या / बैंक ड्राफ्ट संख्या-----दि०----- से जमा किया गया है / पारगमन प्राधिकारपत्र के क्रमांक----- पर अंकित मशीन पर प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। अतः प्रवेश कर जमा नहीं कराया गया है। " इस प्रमाण पत्र की दो प्रतियाँ संबंधित व्यापारी को दी जायेगी, जिसमें से एक प्रति संबंधित जांच चौकी पर बहती खारिज करने के समय प्राप्त की जायेगी। प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी करने वाले अधिकारी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे।

पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज न होने पर अथवा प्रांत के अंदर माल की बिक्री किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये। पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करने हेतु 15 दिन का समय दिया जा सकता है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसायियों को जिस वाणिज्य कर जांच चौकी से पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे उसी वाणिज्य कर जांच चौकी को निर्गमन जांच चौकी के रूप में उक्त संबंध में कार्यवाही करना होगा। प्रदर्शनी हेतु लाये गये माल की बिक्री नहीं की जायेगी एवं समस्त माल कान्फ्रेन्स /प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जाया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।


(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. श्री आर०सी० गुप्ता, आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, यू०पी० स्टेट आफ्थोमैलोजिकल सोसायटी, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर को इस अनुरोध के साथ की कृपया कान्फ्रेन्स / प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसायियों को संदर्भित समग्री लाने के विषय में प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे जिससे व्यवसायियों द्वारा जांच चौकियों पर प्रस्तुत किये जाने पर प्रात के अन्दर लाये जाने वाले माल के संबंध में पारगमन प्राधिकार पत्र जारी व वापसी के समय खारिज किया जा सके।
3. जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर कानपुर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि० 2-5-2001 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि इस कार्य में खण्डाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी कान्फ्रेन्स स्थल पर लगाये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो वे अपने स्तर से कृपया स्थानीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य सम्पादित करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेंगे कि न तो प्रवेश कर का अपवंचन हो और न ही कान्फ्रेन्स में भाग लेने वाले प्रदर्शनकर्ताओं को कोई असुविधा हो।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उ० प्र०।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर उ० प्र०।
6. समस्त डिप्टी कमिशनर (चेकपोस्ट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, उ० प्र०।
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल) वाणिज्य कर, उ० प्र०।
8. चेकपोस्ट अनुभाग को 05 प्रतियाँ अतिरिक्त।

(वी० पी० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिशनर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।